निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

प्रखण्ड कार्यालय	:	फुलपरास
निरीक्षण की तिथि	:	23–12–2002

डा० बी० राजेन्दर
भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर,भा०प्र०से०,जिला पदाधिकारी,मधुबनी द्वारा दिनांक 23-12-2002 को प्रखंड कार्यालय ,फुलपरास का किये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

{1} परिचय:-

फुलपरास प्रखंड कीस्थापना ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2920 दिनांक 31-3-1997 के द्वारा हुई । यह प्रखंड घोघरडीहा प्रखंड से विभक्त होकर दिनांक 31-3-1997 को अस्तित्व में आया । जिला मुख्यालय से इस प्रखंड की दूरी लगभग 65 कि०मी० है और अनुमण्डल मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 2 कि०मी० है । इस प्रखंड में आने जाने हेतु आवागमन के लिए बस/ट्रैकर उप है । इस प्रखंड का निकटतम रेलवे स्टेशन घोघरडीहा है,जो प्रखंड मुख्यालय से 12कि०मी० की दूरी पर दक्षिण में है जो सड़क मार्ग से जु हुआ है । इस प्रखंड से 8 कि०मी० की दूरी पर प्रसिद्ध जागेश्वर महादेव मंदिर है,जो घोघरडीहा प्रखंड में है और सुप्रसिद्ध परसा सूर्यमं बगल के झंझारपुरप्रखंड में है । इतिहास,पसिद्ध कमलादित्य स्थान निकट के अंधराठाढ़ी प्रखंड में है ।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में इस प्रखंड ने अग्रणाभूमिका अदा की थी । सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पं० कपलेश्वर झा शास्त्री,ग्राम-फुलपरास को भारत के प्रथम माननीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने घर पर आकर सम्मानित किया था । अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में स्व० देव नारायण गुरमैता,ग्राम-गोड़ियारी,पं० देवनारायण तिवारी,फुलपरास,पं० काशीनाथ झा,खोपा,स्व० देवकृष्ण कुँवर,धर्मडीहा,स्व० नसीब लाल यादव,सिसवाबरही ,स्व० जीवछ यादव तथा स्व० रसिक लाल यादव के नाम अग्रगण्य हैं । प्राकृतिक रूप से यह गेहुमा एवं भूतही बलान नदियों से घिरा है । प्रति वर्ष इसके प्रकोप को झेलने के लिए फुलपरास के लोग अभिशाप्त हैं निरीक्षण के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी,फुलपरास एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी,फुलपरास उपस्थित थे । इस प्रखंड के संबंध में सामान्य सूचनाएँ निम्नप्रकार हैं :-

{क} चौहद्दी :-

इस प्रखंड के उत्तर में खुटौना प्रखंड,दक्षिण में घोघरडीहा प्रखंड,पूरब में लौकही तथा पश्चिम में अंधराठाढ़ी प्रखंड का क्षेत्र है ।

{ख} जनसंख्या :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या :- 1,30,019

लगातार....2/-

कुल पुरुषों की संख्या	–	66,782
कुल महिलाओं की संख्या	–	63,237

(ग) विद्यालय/महाविद्यालय :-

कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	–	48
कुल मध्य विद्यालयों की संख्या	–	11
कुल उच्च विद्यालयों की संख्या	–	05
कुल महाविद्यालयों की संख्या	–	01 (गैर अंगीभूत)
कुल बुनियादी विद्यालयों की संख्या	–	01
(घ) प्रखंड का कुल क्षेत्रफल	–	16,934.63 हे0
(ड) कुल कृषि योग्य भूमि	–	12,546.04 हे0
सिंचित भूमि	–	4,573.00 हे0
उच्च भूमि	–	3,134.01 हे0
मध्य भूमि	–	4,706.00 हे0
नीची भूमि	–	4,706.00 हे0
(च) असिंचित भूमि	–	7,973.01 हे0
उच्च भूमि	–	1,567.01 हे0
मध्य भूमि	–	2,700.00 हे0
नीची भूमि	–	3,706.00 हे0
(छ) कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	–	42
बेचिरागी ग्रामों की संख्या	–	2 (तौफिर -126 थाना नं0 एवं ब्रह्मोत्तरा-
(ज) कुल हल्कों की संख्या	–	07
(झ) कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	–	14
(ट) कुल सहकारिता पैक्स की संख्या	–	08
(ठ) कुल थाना	–	01
(ड) जिलापरिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	–	03
(ढ) पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	–	21

लगातार.... 3/-

(त)	पंचायत सदस्यों की संख्या	–	200
(थ)	रेफरल अस्पताल की संख्या	–	1
(द)	स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या	–	4
(ध)	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	–	3
(न)	पशु चिकित्सालयों का संख्या	–	1
(प)	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कीसंख्या	–	3
(फ)	विद्युत सबस्टेशन की संख्या	–	1
(ब)	राजकीय नलकूपों की संख्या	–	27
(भ)	निजी नलकूपों की संखया	–	626
(म)	कुल तालाबों की संखया	–	65
(य)	डिजल चालित पम्प सेट	–	448
(र)	नहर/नदी	–	छरपिट्टी/सिसवार/फलकाही-नहर,भुतही बलान/गेहूमानदी
(ल)	व्यवसायिक बैंकों की संख्या	–	1(इलाहाबाद बैंक(मनसापुर),फुलपरास
(व)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	–	3
(श)	दूरसंचार केन्द्र की संखया	–	1
(ष)	कुल जनवितरण प्रणाली दूकानदारों की सं0	–	72
(स)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सवेक्षित परिवारों की संख्या	–	11701

(2) भवन :-

प्रखंड कार्यालय अपने निजीभवन में अवस्थित है । प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया है । स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है । बताया गया कि इसका निर्माण भी अधुरा है ,जिसके कारण कार्यों के सम्पादन में कार्यालय कर्मियों को दिक्कत होती है । प्रखंड परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास बहुत ही जर्जर स्थिति में है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी आवासीय भवनों की स्थिति दयनीय है । प्रखंड परिसर का भ्रमण किया गया । प्रखंड परिसर के पीछे बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है । प्रखंड विकास पदाधिकारी,फुलपरास,जो अंचल अधिकारी के भी प्रभार में हैं,को निर्देश दिया जाताहै कि इसकी जाँच कर एक माह के अन्दर एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कोभेजना सुनिश्चित करेंगे । कार्यालय एवं आवासीय भवनों की मरम्मति हेतु कार्यालय पत्रांक 24/मु0,दिनांक 19-12-02

लगातार.....4/-

द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी से अनुरोध किया गया है, परन्तु मरम्मति कार्य नहीं किया गया है । पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को पूर्व पत्र के प्रसंग में मरम्मति हेतु अनुरोध करें एवं उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें ताकि इस स्तरसे भी उन्हें निर्देशित किया जा सके ।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के सभीकमरों को क्रमांकित कियागया है, जो देखने में अच्छा लगता है । कार्यालय साफ-सुथरा पाया गया । प्रखंड कार्यालय के विभिन्न आलमीरा का निरीक्षण किया गया । पाया गया कि आलमीरा में पुराने संचिकाओं को वर्षवार/विषयवार वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसे वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया । प्रखंड परिसर में ही प्रवेश करने के उपरान्त दीवाल पर पुराना बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिसमें पुरानी योजनाओं का जिक्र है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि बोर्ड पर नये सिरे से प्रखंड में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए टंगवाना सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी हो सके ।

(3) प्रभार :-

डा० रंगनाथ चौधरी, अंचल अधिकारी, फुलपरास दिनांक 29-10-2002 से प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में हैं । इनसे पूर्व श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, फुलपरास इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे । श्रीदेवेन्द्र नारायण ठाकुर, दिनांक 1-9-2001 से प्रधान सहायक के प्रभार में हैं । इनके पूर्व श्री विजय नारायण लाल दास, प्रधान सहायक के प्रभार में थे । श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, लेखा लिपिक, दिनांक 5-9-2001 से नाजीर के प्रभार में हैं । इनसे पूर्व श्रीअरूण कुमार झा, लेखा लिपिक नजारत के प्रभार में थे ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी का पदस्थापन सूची का बोर्ड नीचे रखा हुआ पाया गया, जिसे ऊपर टंगवाने का निर्देश दिया गया । स्थापना काल से प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	सेवा संवर्ग	अवधि
1-	श्री अजय कुमार सिन्हा	बि०प्र०से०	11-12-87 से 12-04-89 तक
2-	श्री राम चन्द्र प्रसाद (प्रभारी)	तदैव	12-04-89 से 10-07-90 तक
3-	श्री अवध बिहारी सिंह यादव	बि०कृ०से०	10-07-90 से 03-08-96 तक

लगातार.....5/-

4-	श्री गंगाधर लाल भगत (प्रभारी)	बि0प्र0से0	03-08-96 से 06-10-96 तक
5-	श्री राम शंकर राम (प्रभारी)	तदैव	06-10-96 से 17-10-97 तक
6-	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह (प्रभारी)	तदैव	17-10-97 से 05-02-97 तक
7-	श्री राम विलास यादव	बि0कृ0से0	05-02-97 से 22-07-98 तक
8-	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह (प्रभारी)	बि0प्र0से0	22-07-98 से 27-07-98 तक
9-	श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह	बि0कृ0से0	27-07-98 से 31-10-2000 तक
10-	श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद (प्रभारी)	बि0प्र0से0	31-10-00 से 29-10-2002 तक
11-	डा0 रंगनाथ चौधरी (प्रभारी)	बि0प्र0से0	29-10-2002 से अद्यतन।

(4) स्थापना :-

इस प्रखंड में पदाधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य स्थापना से संबंधित स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1-	प्रखंड विकास पदाधिकारी	1	-	1
2-	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	1	-	1
3-	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	1	-	1
4-	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	1	1	-
5-	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	1	-	1
6-	कनीय अभियंता	2	2	-
7-	प्रखंड सहकारिता प्र0पदाधिकारी	1	1	-
8-	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी	1	1	-
9-	महिला प्रसार पदाधिकारी	1	1	-
10-	वरीय प्रवर कोटि सहायक	1	1	-
11-	सहायक	4	3	1
12-	कनीय लेखा लिपिक (एन0आर0ई0पी0)	1	-	1
13-	लेखा लिपिक	1	1	-
14-	अनियोजन सांकेतिक भत्ता सहायक	1	-	1
15-	उर्दू अनुवादक	1	-	1

लगातार.... 6/-

16-	सहायक उर्दू अनुवादक	1	-	1
17-	उर्दू टंकक	1	-	1
18-	ग्राम सेविका	2	1	1
19-	पंचायत सेवक	14	9	5
20-	जनसेवक	10	-	10
21-	जीपचालक	1	1	-
22-	अनुसेवक (ग्रा0वि0)(ख)	3	1	2
23-	अनियोजन सांकेतिक भत्ता	1	-	1
24-	प्रमुख का आदेशपाल	1	-	1
25-	जंजीरवाहक	1	-	1
26-	रात्रि प्रहरी	1	-	1
27-	झाड़ूकश	1	+	-
	कुल:-	56	23	33

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न कोटि के रिक्तियों के कारण इस प्रखंड के कार्यकलाप में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यालय पत्रांक 22/मु0 दिनांक 19-12-2002 द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया है। स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रखंड में रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु सभी संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार करें।

स्वीकृत बल के अनुसार निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम/स्थायी पता एवं प्रखंड में योगदान देने की तिथि निम्नवत है :-

क्र0	नाम	पदनाम	स्थायी पता	योगदान की तिथि
1-	डा0 रंगनाथ चौधरी	प्र0वि0पदा0	ग्राम-सुल्तानपुर, पो0-बेरी, थाना-कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभंगा।	29-10-2002
2-	श्री भोगेन्द्र राय,	प्र0सां0पर्यवेक्षक	ग्राम-पो0-हित्तनपुर, जिला-समस्तीपुर	20-09-1998
3-	श्री विन्देश्वर सहनी	कनीय अभियंता	ग्राम-पो0-लठुआ, जिला-समस्तीपुर	16-02-2002

लगातार... 7/-

4-	श्री सर्वेशचन्द्र राय	कनीय अभियंता	ग्राम-पो0ताजपुर,मांझा, जिला-गाजीपुर(उ0प्र0)	01-05-1998
5-	श्रीउज्जवल कुमार निधि	प्र0स0प्र0प0दा0	दरभंगा	-
6-	श्री देवेन्द्र नारायण ठाकुर	प्र0सहायक	ग्राम-पो0-तमुरिया,प्रखंड-लखनौर जिला-मधुबनी ।	01-09-2001
7-	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	लेखा लिपिक	ग्राम-पो0-बलवा,पो0-साहर, जिला-मधुबनी ।	05-09-2001
8-	श्री नारायणजी झा	सहायक	ग्राम-पो0-ब्रह्मपुरा जिला-मधुबनी ।	29-05-2000
9-	श्रीकुमारशिव संतोष	सहायक	ग्राम-पो0-पिरही,थाना-बाबूबरही जिला-मधुबनी ।	15-10-2001
10-	श्रीगौतम किशोरगुप्ता	सहायक	ग्राम-पो0-मोकामा,जिला-पटना	18-12-2001
11-	श्री बाबू लाल गुप्ता	जनसेवक	ग्राम-गोठ परसाही,जिला-मधुबनी	13-02-2002
12-	श्रीमती सरोज कुमारी	ग्राम सेविका	ग्राम-किसनीपट्टी,पो0-फुलपरास जिला-मधुबनी ।	01-10-1990
13-	श्री सीतारामकेशारी	पंचायत सेवक	ग्राम-भरफोरी,पो0-बेलदारी,लौकही जिला-मधुबनी ।	08-02-2002
14-	श्री दिलचन्द्र मल्लिक	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-सुदय रतौली,थाना-घोघरडीहा,जिला-मधुबनी ।	10-02-2002
15-	श्री उपेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक	ग्राम-धाबियाही,पो0-कहड़ी,थाना-लौकही,जिला-मधुबनी ।	09-02-2002
16-	श्री लक्ष्मेश्वर प्र0यादव	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-बसुआरी,भाया-घोघरडीहा जिला-मधुबनी ।	08-02-2002
17-	श्री राम उदार यादव	पंचायत सेवक	ग्राम-बौरहा,पो0-माधोपुर,थाना-लखनौर	09-02-2002
18-	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	पंचायत सेवक	सेवापुस्त अप्राप्त	
19-	श्रीसुभगलाल मोची	पंचायत सेवक	सेवापुस्त अप्राप्त ।	
20-	श्रीगंगा राउत	पंचायत सेवक	सेवापुस्त अप्राप्त ।	
21-	श्रीयुगेश्वर यादव	पंचायत सेवक	सेवापुस्त अप्राप्त ।	
22-	श्रीगणेश राय	जीपचालक	ग्राम-ब्रह्मोत्तरा,पो0-पंडौल जिला-मधुबनी ।	13-01-1994

23-	श्री प्रभाकर मिश्र	अनुसेवक	ग्राम-पो0-भौआड़ा,वार्ड नं0-12, जिला-मधुबनी ।	24-06-2002
24-	श्री प्रितम राम	झाड़ुकश	हौस्पीटल रोड,मधुबनी	02-12-1996

§5§ पूर्व निरीक्षण :-

इस प्रखंड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है,जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
1-	श्री ए0ए0मंजर,उप विकास आयुक्त, मधुबनी ।	28-07-2001	-	-
2-	श्री जगदीश शर्मा,जिलाविकास पदाधिकारी,मधुबनी ।	15-01-1993	29-01-1993	25-02-1993
3-	श्री वसीम अंसारी,जिलाविकास पदाधिकारी,मधुबनी ।	24-09-1994	06-10-1994	18-06-1995
4-	श्री ए0जेड0खाँ,अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास ।	19-12-1992	03-08-1993	-
5-	श्री रामचन्द्र प्रसाद,प्रखंड विकास पदाधिकारी,फुलपरास ।	09-03-1990	31-03-1990	01-04-1990
6-	श्री उमेश चन्द्र दास,कार्यालय अधीक्षक,मधुबनी ।	21-05-1990	18-08-1990	07-09-1990

प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणियों का रक्षी संचिकाएँ संधारित है। रक्षी संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्डेक्सिंग नहीं किया गया है । प्रधान सहायक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें । निरीक्षण टिप्पणी के उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड का पूर्व में किसी जिला पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । उप विकास आयुक्त,मधुबनी द्वारा 2001 के बाद,जिला विकास पदाधिकारी,मधुबनी द्वारा वर्ष 1994 के बाद,अनुमण्डल पदाधिकारी,फुलपरास द्वारा वर्ष 1992 के बाद,प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारावर्ष 1990 के बाद एवं कायलिय अधीक्षक,

लगातार... 9/-

मधुबनी द्वारा वर्ष 1990 के बाद इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो चिन्ता की बात है । बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नि 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण करना है, जो नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत नियमानुसार कार्यालय का निरीक्ष सुनिश्चित करें । उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री वसीम अंसारी, जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वार इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन काफी विलम्ब से किया गया है । इसके अतिरिक्त श्री ए०जेड०खॉं, अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है, जो खेद की बात है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित करें ।

§6§ सेवापुस्तिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 162 बि.से.सं. के नियम 288 एवं 299 के तहत वि.वि. नियमावली खण्ड-1 के नियम 101 एवं 102 के अनुसार अनुसूची-53 फार्म-80 ए.जी.बी. फार्म नं0-239 प्रपत्र में सेवापुस्तिका संधारित है । इस प्रखंड का स्वीकृत बल 56 के विरुद्ध कुल 22 बल पदस्थापित हैं, जिसमें से 15 कर्मियों का सेवापुस्त उपलब्ध है । प्रखंड में पदस्थापित विभिन्न सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका का अवलोकन किया गया। सेवापुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सेवा सत्यापन अद्यतन है परन्तु अवकाश लेखा अद्यतन नहीं किया गया है, जो खेदजनक है । बताया गया कि निम्नांकित सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड से अप्राप्त है :-

1- श्री बीरेन्द्र कुमाल यादव	पंचायत सेवक	अंधराठाढ़ी प्रखंड
2- श्री सुभग लाल मोची	पंचायत सेवक	सुटौना प्रखंड
3- श्री गंगा राउत	पंचायत सेवक	मधेपुर प्रखंड
4- श्री सुगेश्वर यादव	पंचायत सेवक	बेनीपट्टी प्रखंड
5- श्री उज्जवल कुमार निधि	प्र०स०प्र०पदा०	हायाघाट प्रखंड

इसके अतिरिक्त श्री नारायण जी मिश्र, सहायक की सेवापुस्त में नियमित ...

के कारण सम्पुष्टि एवं आवश्यक सुधार हेतु स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 14-12-2002 द्वारा सेवापुस्तिका भेजा गया है। इसी प्रकार श्री बाबू लाल गुप्ता, जनसेवक का सेवापुस्तिका महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन सरकारी सेवकों का सेवापुस्तिका उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से आना बाँकी है, उनसे पत्राचार कर अविलम्ब मंगवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण इस प्रखंड से अन्यत्र हो गया है, उनका सेवापुस्तिका उनके नये पदस्थापन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

(7) सामान्य भविष्य निधि पासबुक :-

कार्यालय में सहायक एवं अनुसेवकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पासबुक संधारित की गयी है, परन्तु निरीक्षण के समय मात्र निम्नांकित सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक उपलब्ध कराया गया :-

1- श्री गणेश राय,	जीप चालक
2- श्री दिलचन्द्र मल्लिक	पंचायत सेवक
3- श्री उपेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक
4- श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद यादव	पंचायत सेवक
5- श्रीमती सरोज कुमारी	ग्राम सेविका
6- श्री प्रभाकर मिश्र	अनुसेवक
7- श्री विन्देश्वर सिंह	कनीय अभियंता
8- श्री सीताराम केसरी	पंचायत सेवक
9- श्री गौतम किशोर गुप्ता	सहायक

प्रधान सहायक अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें कि अन्य कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि उपलब्ध है, तो निरीक्षण के समय क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में वे अपना स्पष्टीकरण भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

(8) वेतन वृद्धि पंजी :-

इस प्रखंड में वेतन वृद्धि पंजी का संधारण किया गया है एवं सभी सरकारी सेवकों का वेतन वृद्धि से संबंधित तिथि अंकित की गयी है जिससे यह पता चल सकेगा कि किस कर्मचारी को कब वेतन वृद्धि देय है, ताकि समय पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके।

:: 11 ::

स्टाफ पंजी :-

इस प्रखंड में कार्यरत सभी कोटि के कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु स्टाफ पंजी का संधारण किया गया है ।

10) सेवानिवृत्त कर्मियों की पंजी :-

इस प्रखंड में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी संधारित, जिसमें भविष्य में होने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है । यह एक महत्त्वपूर्ण पंजी है । इसे हमेशा अद्यतन रखने का निर्देश दिया जाता है ।

11) पत्राचार :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खण्ड (।) एवं (।।) के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी अलग-अलग संधारित है जो प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या		निर्गत पत्रों की संख्या
2000	542	-	818
2001	485	-	665
2002 (23-12-02)	1609	-	965 (मुख्यएवं साधारण सहित) ।

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया । इस प्रखंड में पूर्व में मुख्य एवं साधारण पत्रों के इन्द्राज के लिए एक ही पंजी संधारित था, जिसे हाल ही मेंअलग -अलग किया गया है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी स्तम्भ नहीं भरे गये हैं जो खेदजनक है । प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें । रक्षी संचिका में रखे जाने वाले पत्रों की प्रविष्टि लाल स्याही से किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा पत्र रक्षी संचिका में चिपकाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें ।

(12) लंबित पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 34(ए) के अनुसार प्रत्येक लंबित पत्रों के लिए लूज सीट पर अलग-अलग सहायकवार सूची तैयार

लगातार.... 12/-

§9§ स्टाफ पंजी :-

इस प्रखंड में कार्यरत सभी कोर्ट के कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु स्टाफ पंजी का संधारण किया गया है ।

§10§सेवानिवृत्त कर्मियों की पंजी :-

इस प्रखंड में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी संधारित, जिसमें भविष्य में होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है । यह एक महत्त्वपूर्ण पंजी है । इसे हमेशा अद्यतन रखने का निर्देश दिया जाता है ।

§11§ पत्राचार :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खण्ड§1§ एवं §11§ के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी अलग-अलग संधारित है जो प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या		निर्गत पत्रों की संख्या
2000	542	-	818
2001	485	-	665
2002§23-12-02§	1609	-	965 §मुख्यएवं साधारण सहित§ ।

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया । इस प्रखंड में पूर्व में मुख्य एवं साधारण पत्रों के इन्द्राज के लिए एक ही पंजी संधारित था, जिसे हाल ही मेंअलग -अलग किया गया है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी स्तम्भ नहीं भरे गये हैं जो खेदजनक है । प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें । रक्षी संचिका में रखे जाने वाले पत्रों की प्रविष्टि लाल स्याही से किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा पत्र रक्षी संचिका में चिपकाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें ।

§12§ लंबित पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 34§ए§ के अनुसार प्रत्येक लंबित पत्रों के लिए लूज सीट पर अलग-अलग सहायकवार सूची तैयार

लगातार.... 12/-

करनी है। साथ ही इसके लिए एक केन्द्रीय पंजी भी संधारित करना है । यह पंजी संधारित है परन्तु विधिवत रूप से संधारित नहीं किया गया है । लंबित पत्रों की सूची प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से घोषणा हो जाना चाहिए । पंजी में प्रतिवेदित माह की लंबित पत्रों की प्रविष्टि करने से पूर्व गत माह के जितने पत्र लंबित रह गये हों, उसे लाल स्याही से अगले माह में अग्रानित कर लिया जाना चाहिए और प्रतिवेदित माह के लंबित पत्रों की प्रविष्टि काली स्याही से किया जाना चाहिए । उक्त पंजी को निम्नांकित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया जाता है :-§क§ गत माह तक लंबित पत्रों की संख्या §2§ प्रतिवेदित माह में प्राप्त पत्रों की संख्या §3§ प्रतिवेदित माह में निष्पादित पत्रों की संख्या §4§ लंबित पत्रों की संख्या §5§ अभ्युक्ति । इसके बाद यह भी स्तम्भ बनाना सुनिश्चित करें कि एक वर्ष से ऊपर, नौ माह से ऊपर, छः माह से ऊपर, एक माह से ऊपर एवं एक माह के अन्दर की संख्या अंकित करेंगे । निष्पादन का अर्थ है कि अन्तिम जबाव निर्गत कर देना । प्रधान सहायक इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक करना सुनिश्चित करें ।

§13§ कर्मपुस्तिका :-

प्रखंड में कार्यरत सभी सहायकों द्वारा कर्मपुस्तिका का संधारण किया जा रहा है । श्री गौतम किशोर गुप्ता एवं श्री शिव संतोष कुमार, सहायक के कर्मपुस्तिका का अवलोकन किया गया । श्री गुप्ता के कर्मपुस्तिका में लंबित पत्रों का ब्यौरा अंकित नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन-कौन पत्र इनके जिम्मे निष्पादन हेतु लंबित हैं । लंबित पत्रों का सत्यापन प्रधान सहायक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर सभी सहायकों के कर्मपुस्तिकाओं का निरीक्षण करें ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके ।

§14§ कार्यपत्रक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-155 के अनुसार प्रत्येक सहायक के बैठने के पीछे के स्थान के ऊपर दीवाल पर सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा संधारित है । यह एक महत्त्वपूर्ण तालिका है। इससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संचिका का निष्पादन करते हैं ।

§15§ प्रधान सहायक नोट बुक :-

प्रधान सहायक नोट बुक संधारित है, जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रधान सहायक द्वारा लिखी जाती है ।

§16§ रक्षी संचिका :-

बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-60 एवं 120 के अनुसार रक्षी संचिका का संधारण किया जाना है । इस कार्यालय में रक्षी संचिका का संधारण किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदेश/निदेश आदि को चिपकाया गया है । यह रक्षी संचिका सभी संबंधित सहायक के पास विषयवार रहनी चाहिए, ताकि दिये गये मार्गनिर्देश के अनुरूप वे अपने कार्यों का निपटारा नियमानुसार कर सकें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

§17§ उपस्थिति पंजी :-

यह पंजी विधिवत संधारित की गयी है ।

§18§ आकस्मिक अवकाश पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, जिसमें सभी पर्यवेक्षकों/सहायकों/अनुसेवकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के पश्चात् आकस्मिक पंजी में दर्ज किया जाता है ।

§19§ पंजियों की पंजी :-

इस प्रखंड में पंजियों की पंजी संधारित है । परन्तु कितने तरह की पंजियाँ इस प्रखंड में संधारित की जा रही है के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है । प्रधान सहायक स्पष्ट करें कि इस प्रखंड में कितने प्रकार की पंजियाँ संधारित की जा रही है ।

§20§ चपरासी बही :-

यह पंजी संधारित है तथा इस प्रखंड से भेजे जाने वाले पत्रों का इन्द्राज इसमें किया जाता है ।

§21§ कोषागार संवाहक पंजी :-

कोषागार में विपत्र भेजने के लिए कोषागार संवाहक पंजी का संधारण किया गया है, परन्तु प्रखंड नाजीर का फोटो अभिप्रमाणित कराकर चिपकाया नहीं गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड नाजीर का पासपोर्ट साईज का फोटो अभिप्रमाणित कर कोषागार संवाहक पंजी में चिपकाना सुनिश्चित करें । कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झंझारपुर को आदेश दिया जाता है कि बिना फोटो सत्यापन का विपत्र पारित नहीं करेंगे । लगातार....14/-

§22§ आवंटन पंजी :-

यह पंजी नियमानुसार संधारित है ।

§23§ विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों की पंजी :-

इस प्रखंड में विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी का संधारण किया गया है । परन्तु कितने मामले लंबित हैं, इसका कोई जिक्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रमाण-पत्र दें कि एक भी मामला लंबित नहीं है ।

§24§ माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :-

इस प्रखंड में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले के लिए एक पंजी संधारित की गयी है । बताया गया कि एक भी मामला लंबित नहीं है ।

§25§ अंकेक्षण पंजी :-

अंकेक्षण पंजी इस प्रखंड में संधारित की गयी है, परन्तु कितने मामले लंबित हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । प्रधान सहायक स्पष्ट करें कि अंकेक्षण से संबंधित कितनेमामले लंबित हैं, एवं किस वर्ष तक इस प्रखंड का अंकेक्षण किया गया है ।

§26§ वाहन का लौग बुक एवं वाहन का इतिहास पंजी :-

प्रखंड जीप हेतु एक लौग बुक संधारित है एवं वाहन का इतिहास पंजी भी संधारित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि लौग बुक में प्रत्येक माह तेल एवं कि0मी0 का ब्रेक अप सुनिश्चित करें ताकि यह पता चल सके एक माह में वाहन कितना कि0मी0 चली एवं ईंधन कितना खपत हुआ ।

§27§ वेतन भरपाई पंजी :-

विभिन्न शीर्षों के लिए वेतन भरपाई का संधारण किया गया है जो शीर्षवार है ।

§28§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने हेतु तालिका संधारित है । समय प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने एवं इस पर नियंत्रण रखने के

लगातार....15/-

लिए यह आवश्यक है कि इसकी एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में एवं दूसरी प्रति प्रधान सहायक के पास रहनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा प्रतिवेदन कब और कहाँ भेजा जाना है । प्रधान सहायक इसका अनुपालन दो दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें ।

§29§ सामान्य रोकड़ पंजी :-

सामान्य रोकड़ पंजी टी0सी0 फारम-6 में संधारित है एवं दिनांक 21-12-2002 तक लिखा गया है । बताया गया कि यह रोकड़ पंजी दिनांक 18-3-2002 से प्रारम्भ की गयी है । पूर्व संधारित पंजी के अनुसार संवरण रोकड़ 2,20,93,462=47 पैसे अग्रणित कर इस रोकड़ पंजी में लाये गये हैं । सामान्य रोकड़ बही के अनुसार अन्तःशेष मो0 1,41,15,478=25 पैसे हैं जो अप्रत्याशित रूप से अधिक प्रतीत होता है । सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि कुल 29 मदों में राशि रखी गयी है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	-	अवशेष राशि
1-	2515-सा0वि0	-	86,519=02
2-	2515-ग्रा0पं0	-	1,11,757=40
3-	2235-सा0सु0पें0	-	4,02,029=60
4-	रा0वृ0पेंशन	-	1,13,543=00
5-	2236-पोषाहार परिवहन	-	88,317=25
6-	सांसद कोष योजना	-	14,73,203=00
7-	विधायक कोष योजना	-	16,03,043=76
8-	दशम वित्त आयोग	-	88,317=25
9-	मातृत्व लाभ योजना	-	30,465=00
10-	इन्दिरा आवास योजना§80%§	-	38,38,694=27
11-	इन्दिरा आवास योजना§20%§	-	6,66,657=00
12-	न्यूनतम सेवा कार्यक्रम	-	9,62,964=00
13-	सुनिश्चित रोजगार योजना	-	12,93,555=00
14-	2225-कल्याण	-	3,99,330=00

15-	जवाहर रोजगार योजना	-	99,461=00
16-	पारिवारिक लाभ योजना	-	61,839=02
17-	2401-कृषि	-	2,29,673=65
18-	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(80% एवं 20%)	-	6,49,819=00
19-	पंचायत निर्वाचन	-	1,26,626=15
20-	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	-	5,96,516=76
21-	प्रोत्साहन भत्ता	-	7,41,573=00
22-	2015-निर्वाचन	-	1,74,995=00
23-	जनगणना	-	17,086=35
24-	सहायता	-	30,649=00
25-	2230-श्रम बेरोजगारी भत्ता	-	30,090=00
26-	2202-शिक्षा	-	45,874=00
27-	अन्नपूर्णा योजना	-	3,969=00
28-	एकादश वित्त आयोग	-	66,153=00
29-	ब्याज	-	98,868=00
		कुल:-	1,41,15,478=25

उपर्युक्त राशि का वर्गीकरण निम्नप्रकार से है :-

(क) बैंकों में जमा राशि	-	97,84,221=02
(ख) अग्रिम	-	17,26,465=00
(ग) अभिलब	-	25,91,274=85
(घ) नगद	-	13,517=38
	कुल:-	1,41,15,478=25

रोकड़ बही के अनुसार उपर्युक्त राशि का बैंकबार विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्र0	बैंक का नाम	खाता नं0	मद	रोकड़ बही के अनुसार अवशेष राशि।	बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष राशि	सत्यापन की तिथि	बैंक समाधान विवरण के अनुसार राशि
1-	इलाहाबाद बैंक, मंझनपुर	002 चालू खाता	सामान्य	1,17,436=00	1,06,761=00	-	1,06,661=00
2-	तदैव	2596 बचत खाता	सामान्य	1,72,335=79	2,03,272=79	-	2,03,272=79

3-	इलाहाबाद बैंक, मंगरापुर	2815-बचत खाता	इं0आवास-80%	32, 07, 708=00	22, 48, 387=00	-	22, 48, 887=00
4-	तदैव	2816-बचत खाता	ई0आवास-20%	6, 25, 609=00	6, 25, 609=00	18.12.02	6, 25, 609=00
5-	तदैव	2817-बचत खाता	बु0न्यू0सेवा	8, 24, 780=00	8, 24, 780=00	18.12.02	8, 24, 780=00
6-	तदैव	2818-बचत खाता	सु0रो0यो0	7, 77, 750=00	7; 77, 750=00	18.12.02	7, 77, 750=00
7-	तदैव	2819-बचत खाता	ज0रो0यो0	99, 244=00	99, 244=00	18.12.02	99, 244=00
8-	तदैव	2820-बचत खाता	मातृत्व लाभ	30, 465=00	30, 465=00	18.12.02	30, 465=00
9-	तदैव	2821-बचत खाता	ग्राम वित्त आयोग	74, 007=00	74, 007=00	18.12.02	74, 007=00
10-	तदैव	2822-बचत खाता	विधान मंडल	10, 29, 176=00	10, 29, 176=00	18.12.02	10, 29, 176=00
11-	तदैव	2823-बचत खाता	ब्याज	34, 486=00	34, 486=00	-	34, 486=00
12-	तदैव	2824-बचत खाता	एकादश वित्त आ.	67, 653=00	67, 653=00	-	67, 653=00
13-	मधुबनी क्षे0ग्रा0बैंक, सिसवार	10-चालू खाता	सामान्य	2, 12, 414=00	2, 12, 414=00	05-07-02	2, 12, 414=00
14-	तदैव	24615बचत खाता	प्र0आ0यो0 (80% एवं 20%)	6, 48, 819=00	8, 08, 640=00	-	8, 08, 640=00
15-	तदैव-सुगापट्टी	2155-बचत खाता	विधायक कोष	5, 73, 867=00	5, 73, 867=00	-	5, 73, 867=00
16-	तदैव-फुलपरास	5824-बचत खाता	रा0वृ0पेंशन	1, 13, 484=00	1, 13, 484=00	27.11.02	1, 13, 484=00
17-	तदैव-फुलपरास	6003-बचत खाता	सांसद कोष	9, 72, 666=00	9; 72, 666=00	-	9, 72, 666=00
18-	तदैव-घोघरडीहा	19-चालू खाता	सामान्य	43, 154=20	34, 040=20	-	34, 040=00
19-	तदैव-अइरियासंग्राम	28-चालू खाता	सामान्य	8, 480=08	9, 482=08	-	8, 480=08
20-	तदैव-अइरियासंग्राम	3869-बचत खाता	सा0सु0पेंशन	1, 36, 153=00	1, 36, 153=00	-	1, 36, 153=00
21-	तदैव-अइरियासंग्राम	3879-बचत खाता	सामान्य	508=00	508=00	-	508=00
22-	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, झंझारपुर।	0100005020। चालू खाता।	सामान्य	22, 025=95	8, 21, 015=95	-	8, 22, 025=95
	कुल योग :-			97, 84, 221=02	98, 04, 361=02	-	98, 04, 269=00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बैंक रिकॉन्सीलियेशन कराया गया है, जिसके अनुसार क्रमांक 1, 19 एवं 22 के खाते का बैंक समाधान संचालन के प्रारम्भ से कराने की आवश्यकता है। रोकड़ बही के उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट

लगातार....18/-

होता है कि इसका संधारण अभी भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी चालू खाता में पैसा रखा जा रहा है। सभी राशि को बचत खाता में रखने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया है, परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सा0सु0पेंशन योजना मद में 4,02,029/-रूपया, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1,13,543/-रूपया, सांसद कोष योजना मद में 14,73,203/-रूपया, विधायक कोष योजना मद में 16,03,043/-रूपया, इन्दिरा आवास योजना(80%) में 38,38,694/-रूपया, इन्दिरा आवास योजना(20%) में 6,66,657/-रूपया, बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम मद में 9,62,964/-रूपया, सुनिश्चित रोजगार योजना मद में 12,93,555/-रूपया, कल्याण मद में 3,99,330/-रूपया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(80% एवं 20%) में 6,49,819/-रूपया, पंचायत निर्वाचन मद में 1,26,626/-रूपया, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मद में 5,96,516/-रूपया, प्रोत्साहन भत्ता मद में 7,41,573/-रूपया, 2015-निर्वाचन में 1,74,995/-आदि अप्रत्याशित रूप से पड़े हुए हैं एवं इसे खर्च करने की दिशा में कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त राशि की छानबीन कर लें कि यदि राशि खर्च करने योग्य नहीं है, तो अविलम्ब कोषागार चलान/चेक द्वारा जिला कार्यालय को वापस कर दें। किसी भी शीर्ष में अनावश्यक रूप से अधिक राशि अवशेष रहने के कारण विचलन की संभावना बढ़ जाती है। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी भी 88,317/-रूपया अवशेष पड़ा हुआ है, जिसे शीघ्र वितरण करने का निर्देश दिया गया। दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत 88,317/-रूपया अवशेष दिखलाया गया है, जिससे शीघ्र शौचालय निर्माण कर राशि समाप्त करने का निर्देश दिया गया। विकास कार्यों की मासिक बैठक में बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि जिला कार्यालय को वापस नहीं किया गया है, जो खेद की बात है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत अवशेष राशि 9,62,964/-रूपया अविलम्ब जिला कार्यालय को वापस करें। इन्दिरा आवास योजना(80%) के तहत बहुत अधिक राशि अवशेष पड़ी हुई है, जिसका भुगतान लाभार्थियों के बीच कैम्प कर अविलम्ब भुगतान करना सुनिश्चित करें। पंचायत चुनाव मद में 1,26,626/-रूपया अवशेष पड़ा हुआ है, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाय। यदि राशि की आवश्यकता न हो तो उसे जिला पंचायत कार्यालय को वापस किया जाय। प्रोत्साहन भत्ता मद में 7,41,573/-रूपया अवशेष दिखलाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दो वर्षों से राशि का समायोजन नहीं हो रहा है। इसमें वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ सरकारी राशि के गबन होने की संभावना

लगातार....19/-

से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय । साथ ही इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अभिश्रव की जाँच कर समायोजन एक सप्ताह के अन्द करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । रोकड़ बही के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभी भी सभी बैंक खाता कार्यक्रमवार नहीं खोला गया है । प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, विधायक/पार्षद कोष योजना के तहत अभी भी अलग-अलग बैंक खाता न खोला गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी कार्यक्रम के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोलना सुनिश्चि करें ।

{30} अग्रिम :-

रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अस्थायी अग्रिम के रूप में विभिन्न सरकारी सेवकों को कुल 17,26,465=00 रू अग्रिम स्वरूप दी गयी है, जो बहुत बड़ी राशि है । विभिन्न सरकारी सेवकों को दी गयी अग्रिम की राशि निम्नवत है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम की तिथि	अग्रिम का प्रयोजन
1-	श्री विजय ना०लालदास	कनीय लेखालिपिक	27,500=00	23-07-2001	वेतन अग्रिम ।
2-	श्री जगदीश कुमार कर्ण	सहायक	63,131=00	06-04-2002	छात्रवृत्ति भुगतान
3-	श्री कपिलदेव त्रिवेदी	जनसेवक	2,100=00	30-03-2002	पेंशन भुगतान हेतु
4-	श्री राम ना०राम	पंचायत सेवक	43,050=00	18-01-2002	तदैव
5-	श्री नारायण यादव	पंचायत सेवक	9,000=00	25-01-2002	तदैव ।
6-	श्री अवध बिहारी सिंह यादव-से०नि०प्र०वि०पदा०		10,000=00	02-10-2000	-
7-	श्री अबुल कलाम	पंचायत सेवक	3,600=00	02-10-2000	-
8-	श्री सीताराम यादव	जनसेवक	500=00	02-10-2000	-
9-	श्री रामेश्वर प्र०वर्मा	पंचायत सेवक	62,595=00	05-02-2002	पेंशन वितरण हेतु
10-		अंचल अधिकारी, फुलपरास	400,000=00	17-08-2002	राहत वितरण हेतु।
11-	श्री धनुषी मोची	प्र०क०पदाधिकारी	7,953=00	20-04-2002	छात्रवृत्ति भुगतान हे
12-	श्री मंडन मिश्र	ग्राम पं० पर्यवेक्षक	1,500=00	02-07-2002	यात्रा अग्रिम ।
13-	श्री शशिभूषण राय	प्र०शि०प्र०पदाधिकारी	261,043=00	18-09-2001	प्रोत्साहन भत्ता हेतु

14-	श्री विजय कुमार सिंह	प्र०शि०प्र०प०द०	2,61,043=00	18-09-2001	प्रोत्साहन भत्ता हेतु ।
15-	श्री भोगेन्द्र राय	प्र०सां०पर्यवेक्षक	500=00	24-11-2000	यात्रा अग्रिम हेतु ।
16-	श्री उपेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक	5,500=00	22-11-2002	पेंशन भुगतान हेतु ।
17-	श्री गंगा राउत	पंचायत सेवक	12,200=00	02-07-2002	तदैव
18-	श्री राम उदगार यादव	पंचायत सेवक	1,700=00	22-11-2002	तदैव ।
19-	श्री सुभग लाल मोची	पंचायत सेवक	700=00	27-11-2002	तदैव ।
20-	श्री विरेन्द्र कुमार यादव	पंचायत सेवक	1,07,000=00	17-07-2002	तदैव ।
21-	श्री विलचन्द्र मल्लिक	पंचायत सेवक	85,500=00	22-11-2002	तदैव ।
22-	श्री सुगेश्वर यादव	पंचायत सेवक	38,000=00	17-07-2002	तदैव ।
23-	श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद यादव	पंचायत सेवक	1,900=00	04-12-2002	तदैव ।
24-	श्री सत्य ना०साह	राजस्व कर्मचारी	12,500=00	27-08-2002	तदैव ।
25-	श्री राजेन्द्र प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	1,00,100=00	19-07-2002	तदैव ।
26-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	राजस्व कर्मचारी	16,500=00	22-11-2002	मातृत्व लाभ योजना ।
27-	श्री विन्देश्वर सहनी	कनीय अभियंता	2,500=00	09-10-2001	मिट्टी भराई हेतु ।
28-	श्री सर्वे शचिन्द्र राय	कनीय अभियंता	1,750=00	22-10-2001	वेतन अग्रिम ।
29-	श्री प्रेम चन्द्र लाल दास	अनुसेवक	20,533=00	27-02-2002	वेतन अग्रिम ।
30-	श्री प्रभात कुमार बनैता	सचिव, सा०न्यास धर्म, सुग्गापट्टी ।	12,250=00	17-12-2001	स्वयं सहायता समूह हेतु ।
31-	श्री ललन मिश्र	स०शि०प्रा०वि०बेल्ही	363=00	04-04-2001	प्रोत्साहन भत्ता भुगतान
32-	श्री बच्चन सिंह	प्रा०शि०प्रा०वि०बाला-बाखर ।	2,732=00	04-04-2001	तदैव ।
33-	श्री मोद ना०झा	स०शि०प्रा०वि०बेलहीपूरब	5,553=00	04-04-2001	तदैव ।
34-	श्री विन्देश्वर यादव	स०शि०प्रा०वि०भाटावारी	2,367=00	04-04-2000	तदैव ।
35-	श्री भागवत यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०मुरली	4,315=00	04-04-2000	तदैव ।
36-	श्री गौरी शंकर मिश्र	प्र०अ०, प्रा०वि०जगतपुर	4,763=00	04-04-2000	तदैव ।
37-	श्री० कादिर अंसारी	प्र०अ०प्रा०वि०गिदरगंज	6,863=00	04-04-2000	तदैव ।
38-	श्री मिथिलेश कुमारी	प्र०अ०, प्रा०वि०सुधाटोल	636=00	04-04-2000	तदैवे ।
39-	श्री रघुनन्दन मोची	प्र०अ०प्रा०वि०भरही	917=00	04-04-2000	तदैव ।

लगातार.....21/-

40-	श्री कामेश्वर यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०सिजौलिया	650=00	04-04-2000	प्रोत्साहन भत्ता भुगतान हेतु
41-	श्री शिव कुमार मंडल	स०शि०प्रा०वि०बेरियाही	2,447=00	04-04-2000	तदैव ।
42-	श्री गया प्रसाद यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०धोसही	3,800=00	04-04-2000	तदैव ।
43-	श्री योग ना०यादव	प्र०अ०, म०वि०सैनी	3,694=00	04-04-2000	तदैव ।
44-	श्री राम ना०यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०मुरवाला	5,143=00	04-04-2000	तदैव ।
45-	श्री योगेन्द्र प्र०मंडल	प्रा०वि०बथनाहा	4,283=00	04-04-2000	तदैव ।
46-	श्री तेज ना०मोची	प्र०अ०, प्रा०वि०झखराही	2,736=00	04-04-2000	तदैव ।
47-	श्री जंग बहादुर यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०फलबाही	4,212=00		
48-	श्री जुड़ी सदाय	प्र०अ०, प्रा०वि०कटवासा	630=00	04-04-2000	तदैव ।
49-	श्री राम बहादुर सिंह	प्र०अ०, प्रा०वि०बालाबाखर	1,824=00	04-04-2000	तदैव ।
50-	श्री रामकृष्ण यादव	प्र०अ०, मुसहर नियाँ	4,095=00	04-04-2000	तदैव ।
51-	श्री रामऔतार साह	प्र०शि०प्रा०वि०इन्दर मंडलटोल	3,468=00	04-04-2000	तदैव ।
52-	श्री गोपाल प्र०टरैत	प्र०सह०प्रा०वि०बलुआ	908=00	04-04-2000	तदैव ।
53-	श्री सूर्य ना०यादव	प्र०अ०, प्रा०वि० मैनही	3,046=00	04-04-2000	तदैव ।
54-	श्री जगदीश ठाकुर	प्र०अ०, म०वि०बथनाहा	7,027=00	04-04-2000	तदैव ।
55-	श्री शोभित पासवान	प्र०अ०, प्रा०वि० भरहा	2,296=00	04-04-2000	तदैव ।
56-	श्री रामचन्द्र यादव	प्र०अ०, क०म०वि०सिसवाबरही	5,525=00	04-04-2000	तदैव ।
57-	श्री अली हसन,	प्र०अ०, प्रा०वि०हसनपुर	8,066=00	04-04-2000	तदैव ।
58-	श्री प्रेम कुमार झा	प्र०अ०, प्रा०वि०सुरियाही	1,005=00	04-04-2000	तदैव ।
59-	श्री उपेन्द्र यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०सिसौनी	1,957=00	04-04-2000	तदैव ।
60-	श्री सईद साफी	प्र०अ०, प्रा०वि०भरहा सिसवार	5,502=00	04-04-2000	तदैव ।
61-	श्री हसन साफी	प्र०अ०, प्रा०वि०चतराटोल	2,159=00	04-04-2001	तदैव ।
62-	श्री रामलखन मंडल	प्र०अ०, प्रा०वि०बौअरवा	2,566=00	04-04-2001	तदैव ।
63-	श्री गजानन्द यादव	प्र०अ०, म०वि०सिसवार	5,067=00	04-04-2001	तदैव ।
64-	श्री विष्णुदेव राय	प्र०प्र०अ०, वि०वि०गोरगामा	1,827=00	04-04-2001	तदैव ।
65-	श्री रामशरण चौधरी	प्र०अ०, प्रा०वि० हरियरी	8,460=00	04-04-2001	तदैव ।
66-	श्री भोला साफी	प्र०अ०, प्रा०वि० रतौनियाँ	3,559=00	04-04-2001	तदैव ।

लगातार....22/-

67-	श्री प्रीतम लाल राय	स०शि०प्रा०वि०रामनगर	3,132=00	04-04-2001	प्रोत्साहन भत्ता भुगतान हेतु ।
68-	श्री अमृत कान्त झा	प्र०अ०,प्रा०वि०अमौजा	1,482=00	04-04-2001	तदैव ।
69-	श्री बुलानन्द ठाकुर	प्र०अ०,प्रा०वि० बंछौनी	2,272=00	04-04-2001	तदैव ।
70-	श्री शोभाकृष्णा यादव	प्र०अ०, म०वि०, सुरियाही	3,008=00	04-04-2001	तदैव ।
71-	श्री योगेन्द्र ना०यादव	प्र०अ०प्रा०वि०मुस्हर नियाँ	1,107=00	04-04-2001	तदैव ।
72-	श्री सुगा लाल मोची	प्रा०क०वि०सुगापटटी	5,289=00	04-04-2001	तदैव ।
73-	श्री रामसेवक साहु	प्र०अ०,प्रा०वि०छरापटटी	1,107=00	04-04-2001	तदैव ।
74-	श्री रामेश्वर शर्मा	प्र०अ०प्रा०वि०ननपटटी	2,757=000	04-04-2001	तदैव ।
75-	श्री धर्मचन्द्र यादव	स०शि०,प्रा०वि०हनुमाननगर	4,898=00	04-04-2001	तदैव ।
76-	श्री राजेन्द्र प्रसाद	शिक्षक,प्रा०वि०हनुमाननगर	1,441=00	04-04-2001	तदैव ।
77-	श्री दिनेश प्र०यादव	प्र०अ०,प्रा०वि०दनराटोल	3,487=00	04-04-2001	तदैव ।
78-	श्री विनोदानन्द बनैता	प्र०अ०,प्रा०वि०खरगामा	6,052=00	04-04-2001	तदैव ।
79-	श्री इन्द्रना०कुम्बर	प्र०अ०, म०वि०अमौजा	2,872=00	04-04-2001	तदैव ।
80-	श्री योगेन्द्र अरगरिया	प्र०अ०प्र०वि०सुगापटटी नवटोल ।	2,723=00	04-04-2001	तदैव ।
81-	श्री बद्री नजपुरिया	शि०म०वि०सुगापटटी	3,542=00	04-04-2001	तदैव ।
82-	श्री देवानन्द झा	प्र०अ०,सुगापटटी नवटोली	2,024=00	04-04-2001	तदैव ।
83-	श्री उपेन्द्र ना०सैन	प्र०अ०म०वि०सीतापटटी	6,914=00	04-04-2001	तदैव ।
84-	श्री प्रथम लाल साह	प्रा०वि०गटीपटी बलुआ	3,936=00	04-04-2001	तदैव ।
85-	श्री फुलेश्वर झा	प्र०अ०,प्रा०वि०बहुअरवा नवटोल ।	1,428=00	04-04-2001	तदैव ।
86-	श्री विष्णुदेव मंडल	शि०प्रा०वि०दनराटोल	553=00	04-04-2001	तदैव ।
87-	श्री रामस्वरूप यादव	प्र०अ०म०वि०गेहूँमावेरिया	5,018=00	04-04-2001	तदैव ।
88-	श्री रामलेखन चौधरी	प्र०अ०,कालापटटी बरही	3,974=00	04-04-2001	तदैव ।
89-	श्री गुरूचरण तांती	प्र०अ०प्रा०वि०मनोरथपटटी	1,296=00	04-04-2001	तदैव ।
90-	श्री राज कुमार पासवान	प्र०अ०प्रा०वि०भाटावारी हरिजन ।	1,779=00	04-04-2001	तदैव ।
91-	श्री राम बहादुर साहु	शि०प्रा०वि०शात्तांटोल	1,329=00	04-04-2001	तदैव ।
92-	श्री हरेराम यादव	प्रा०अ०,प्रा०वि०नवटोल	1,662=00	04-04-2001	तदैव ।
93-	श्रीमती नीला देवी	स०शि०प्रा०वि०फुलपरास	1,942=00	04-04-2001	तदैव ।

लगातार.,....23/-

94-	श्री रामस्वरूप मंडल	म०वि०गोरगामा	7, 672=00	04-04-2001	प्रोत्साहन भत्ता भुगतान हेतु
95-	श्रीमती जयन्ती कुमारी	प्रा०वि०फुलपरास पुरब	4, 017=00	04-04-2001	तदैव ।
96-	श्री रंजीत कुमार झा	स०शि०म०वि०सिजौलिया	3, 943=00	04-04-2001	तदैव ।
97-	श्री कामेश्व लाल यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०दाहापट्टी	1, 240=00	04-04-2001	तदैव ।
98-	श्री परमेश्वर यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०क०वि०फुल०	8, 187=00	04-04-2001	तदैव ।
99-	श्री सियाशरण मंडल	प्र०अ०, प्रा०वि०बजराहाटोल	4, 179=00	04-04-2001	तदैव ।
100-	श्री सत्य ना०साह,	स०शि०, प्रा०वि०पकरिया	874=00	04-04-2001	तदैव ।
101-	श्री उपेन्द्र सलहैयता	प्र०अ०, प्रा०वि०कालापट्टी	1, 380=00	04-04-2001	तदैव ।
102-	श्री झरर लाल पासवान	प्र०अ०, म०वि०गोढ़ियारी	3, 241=00	04-04-2001	तदैव ।
103-	श्री बासुदेव मोची	प्र०अ०, प्रा०वि०लकसेना	4, 464=00	04-04-2001	तदैव ।
104-	श्री रामकृत पासबान	स०शि०, प्रा०वि०धर्मडीहा मुसहरी	2, 022=00	04-04-2001	तदैव ।
105-	श्री गणेश चंद झा	प्रा०वि०सीतापट्टीनवटोली	3, 163=00	04-04-2001	तदैव ।
106-	श्रीमती चन्द्रकला देवी	प्र०अ०, प्रा०वि०किसनीपट्टी	3, 951=00	22-05-2001	तदैव ।
107-	श्री रामाकांत झा	प्र०अ०, प्रा०वि०बाबाघात	1, 864=00	22-05-2001	तदैव ।
108-	श्री दिगम्बर प्र०सिंह	स०शि०म०वि, फुलपरास	1, 417=00	22-05-2001	तदैव ।
109-	श्री सहदेव मोची	म०वि० फुलकाही	5, 909=00	09-06-2001	तदैव ।
110-	श्री सियासत हुसैन	प्र०अ०, प्रा०वि०गोढ़ियारी	9, 340=00	09-06-2001	तदैव ।
111-	श्रीमती सुरती देवी	प्रा०वि० घुसुकीपट्टी	750=00	09-06-2001	तदैव ।
112-	मो० फारूख	प्र०अ० बालाबाखर उर्दू	413=00	09-06-2001	तदैव ।
113-	श्री हरिनन्दन ठाकुर	स०शि०म०वि०धर्मडीहा	4, 664=00	09-06-2001	तदैव ।
114-	श्री नारायण राम	प्र०अ०, म०वि०धनौजा	8, 704=00	09-06-2001	तदैव ।
115-	श्री रामकृष्ण यादव	म०वि, महथौर खूर्द	6, 097=00	09-06-2001	तदैव ।
116-	श्री विन्देश्वर यादव	प्र०अ०, प्रा०वि०भाटाबारी	2, 040=00	21-07-2001	तदैव ।

कुल:- 17, 26, 465=00

लगातार... 24/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी राशि ज्यादातर प्रोत्साहन भत्ता वितरण/पेंशन वितरण मद में अग्रिम स्वरूप विभिन्न सरकारी सेवकों को दिया गया है, परन्तु राशि वसूली अथवा समायोजन की दिशा में इस कार्यालय द्वारा कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वितों को भुगतान हेतु जो अग्रिम का भुगतान किया गया है, हो सकता है उसका अभिश्रव कार्यालय में जमा कर दिया गया हो, परन्तु उसका समायोजन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अग्रिम की सूची के क्रमांक-29 में श्री प्रेम चन्द्र लाल दास, अनुसेवक को दिनांक 27-02-2002 को वेतन अग्रिम स्वरूप मो0 20,553/-रूपया दिया गया है। इतनी बड़ी राशि वेतन अग्रिम के रूप में देने का क्या औचित्य है, जबकि अनुसेवक का एक माह का वेतन अधिकतम 5000/-रूपया ही होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें। क्या श्री दास द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन किया गया है। यदि नहीं किया गया है, तो अविलम्ब समायोजन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार श्री विजय ना0लाल दास, कनीय लेखा लिपिक द्वारा दिनांक 23-7-2001 को वेतन अग्रिम के रूप में मो0 27,500/-रूपया लिया गया है, परन्तु इसका समायोजन हुआ अथवा नहीं, इसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है। अग्रिम लेने वालों की सूची के क्रमांक-2 में श्री जगदीश कुमार कर्ण, सहायक को दिनांक 6-4-2002 को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु मो0 63,131/-रूपया अग्रिम दिया गया है। कार्यालय सहायक को इतनी बड़ी राशि अग्रिम स्वरूप देने का क्या औचित्य है। यह कार्य तो पंचायत सेवक/जनसेवक के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में कार्यालय सहायक को योजना की राशि भुगतान हेतु अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाय। अग्रिम समायोजन का मुख्य दायित्व प्रधान सहायक /प्रखंड नाजीर का है, परन्तु उनके द्वारा वसूली हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाताहै कि अग्रिम की वसूली हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि को राशि का समायोजन अथवा वसूली नहीं हो पाती है, तो संबंधित सरकारी सेवकों के वेतन से राशि काटकर समायोजन किया जाय। अस्थायी अग्रिम के रूप में इतनी बड़ी राशि का समायोजन नहीं होना, गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का द्योतक है। अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को भी निर्देश दिया जाता है कि अस्थायी अग्रिम की राशि की वसूली की दिशा में साप्ताहिक बैठक में भाग लेकर इसकी समीक्षा करें एवं वसूली सुनिश्चित करावें।

§3§अभिश्रव :-

इस प्रखंड में अभिश्रव के रूप में मो0 25,91,974=85रूपये की राशि सन्निहित है, जिसका सामंजन नहीं हुआ है।

बताया गया कि आवंटन के अभाव में इसका समायोजन नहीं हो पा रहा है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणी में वर्ष 1989-90 से 2002-03 (21-12-2003 तक) का वर्षवार/शीर्षवार असमायोजित अभिश्रवों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मो0 25,91,274/-रूपया वर्गीकृत किया गया है । प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि असमायोजित अभिश्रवों के विरूद्ध राशि के आवंटन हेतु सरकार से अनुरोध करें ताकि समायोजन संभव हो सके । इतनी बड़ी संख्या में राशि असमायोजित रहने से गम्भीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । शीर्षवार/वर्षवार असमायोजित अभिश्रवों का विवरण परिशिष्ट -8- पर अवस्थित है ।

(32) राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रखंड में इस योजना के अन्तर्गत अप्रील-2002 से दिसम्बर, 2002 तक प्रतिमाह 475 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है, परन्तु राज्य खाद्य निगम से मात्र 459.03 क्विंटल खाद्यान्न प्रतिमाह आपूर्त्ति की जा रही है । माह-जून, 2002 का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही राज्य खाद्य निगम द्वारा आपूर्त्ति की गयी है । माह-नवम्बर, 2002 का गेहूँ राज्य खाद्य निगम, मधुबनी द्वारा आपूर्त्ति की जा चुकी है, जिसका वितरण लाभान्वितों के बीच की जा चुकी है ।

(33) प्रोत्साहन भत्ता :-

इस योजना के तहत रोकड़ बही के अनुसार 1-4-2002 को मो0 6,35,000/-रूपया अवशेष दिखलाया गयाहै । वर्ष 2002-0 में प्राप्त मो0 1,20,000/-रूपया लेकर कुल 7,55,000/-रूपया के विरू(प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं शिक्षकों को अग्रिमस्वरूप भत्ता वितरण हेतु दिया गयाहै परन्तु कार्यालय में अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सामान्य रोकड़ पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया है । बताया गया कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त अभिश्रव निरीक्षण के दो दिन पूर्व समर्पित किया गया है, जिसको जाँच की जा रही है । प्रखंडविकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंधमें प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य से अवगत करावें ।

(34) दशम वित्त आयोग के तहत चलायी जा रही योजना :-

दशम वित्त आयोग के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शौचालय निर्माण की 18 योजनाएँ स्वीकृत हुई थी, जिनमें

लगातार....26/-

4 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है । शेष 4 योजनाएँ प्रगति पर है । इस मद में 56,000/-रूपया अवशेष है, जो लंबित योजनाओं के पूर्ण ह
र व्यय किया जायगा ।

§35§ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की 5 एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की 3 कुल 8 योजनाओं के विरूद्ध मात्र
3 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं शेष5 योजनाएँ लंबित है । साथ ही इस योजना के अन्तर्गत कुल 42,128 लाख के विरूद्ध 27,02 ल
रूपये व्यय किये गये हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर लंबित
योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें ।

§36§ विधायक/पार्षद कोष योजना :-

इस प्रखंड में विधायक/पार्षद कोष योजनान्तर्गत कुल 19 योजनाओं के विरूद्ध 9 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं 10 योजनाएँ
लंबित हैं । साथ ही इस योजना के अन्तर्गत मो0 33,036 लाख के विरूद्ध अभी तक 17,01 लाख रूपया व्यय किया गया है । प्रखंड विकास
पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर लंबित योजनाओं को प्राथमिकता
के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें ।

§37§ सुनिश्चित रोजगार योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल 19 योजनाओं के विरूद्ध 12 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है एवं 7 योजनाएँ लंबित है । कुल 28·29
लाख प्राप्त आवंटन के विरूद्ध अभी तक 15·37 लाख रूपया व्यय किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि
विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये गये समय-सीमा के अन्दर अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन
जिला कार्यालय को भेजें ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अभिलेख संख्या 13/95-96 §प्रा0वि0वैरियाही के भवन निर्माण§ का अवलोकन किया गया ।
इस अभिलेख पर दिनांक 30-4-95 को कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । कुल प्राक्कलित राशि 1,29,400/-रूपया है, जिसकी स्वीकृति उप
विकास आयुक्त, मधुबनी के पत्रांक 88 दिनांक 8-4-95 द्वारा प्राप्त है, परन्तु अभिलेख में स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न है । इस योजना के

अभिकर्त्ता के रूप में श्री सरयुग प्रसाद यादव, पंचायत को नियुक्त किया । अभिकर्त्ता को अग्रिमस्वरूप 60,000/-रूपया दिनांक
95 को दिया गया था । इनके द्वारा लिंटर स्तर तक कार्य किया गया । कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा इसकी मापी
ली गई, क्योंकि कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया था । इस अभिलेख में दिनांक 24-7-2000 को सहायक अभियंता द्वारा
निदेश अंकित किया गया है कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है, अतः भवन तोड़ने का सुझाव दिया गया है । जिला पदाधिकार
निदेशानुसार इस योजना को नये सिरे से निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया, जिस पर स्वीकृत्यादेश उप विकास आयुक्त,
नी के आदेश ज्ञापांक 268/जि०ग्रा०वि०अ०, मधुबनी, दिनांक 30-1-2002 द्वारा प्राप्त है । पुनरीक्षित प्राक्कलन 2,36,000/-रूपया
प्रधान सहायक ने बताया कि पूर्व अभिकर्त्ता श्री सरयुग प्रसाद यादव सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनसे अग्रिम की राशि सूद समेत 1,08,1
ा के लिए वसूली की कार्रवाई की गई है । पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने हेतु श्री युगेश्वर यादव को 25,000/-रू
नांक 8-2-2002 को अग्रिम दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है ।
ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि श्री युगेश्वर यादव, पंचायत सेवक पर अग्रिम लेकर कार्य नहीं करने के लिए स्थान
ना में प्राथमिकी दर्ज करें एवं पी०डी०आर० एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

8) इन्दिरा आवास योजना (80%):-

इन्दिरा आवास योजना 80% के तहत गत वर्ष के लंबित 349 इकाई को लेकर कुल 465 इकाई आवास के विरूद्ध अभी तक
ात्र 146 इकाई में कार्य पूर्ण है । लंबित इकाई 319 में से 105 इकाई में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बता
कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होते हुए अविलम्ब कार्यादेश निर्गत कर अनुवर्त्ती कार्रवाई की जायेगी । इस योजना के तहत इस प्रखंड को
कुल प्राप्त आवंटन 59,314 लाख रूपये के विरूद्ध मात्र 20.92 लाख रूपया ही व्यय किये गये हैं, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है । विकास
कार्यों की मासिक बैठक में बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है । प्रखंड विकास
पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कैम्प आयोजित कर राशि वितरण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन
प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें । इन्दिरा आवास से संबंधित योजना पंजी पंचायत वार संधारित की गई है एवं पंचायतवार ही योजना
संख्या दी जाती है । इन्दिरा आवासों की सूची तैयार की गयी है, जिसके अनुसार कुल 454 आवास योजना लंबित है । वर्ष 1998-99 के
पूर्व 146 योजनाओं की पहचान कर निर्देश के आलोक में दिनांक 5-12-2002 के द्वारा नोटिस निर्गत की गई है । परन्तु अभी तक नीलाम

दायर नहीं किया गया है । नोटिस एक साथ बंडल बनाकर रखा गया है । अभिलेख में भी इस आशय की प्रविष्टि नहीं की गई है
विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख में इसकी प्रविष्टि कर नोटिस अभिलेख के साथ संलग्न करें तथा स्पेशि
ऑर्डर पारित करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बन्द कर राशि की वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद दायर करें ।

9) इन्दिरा आवास योजना (20%) :-

इन्दिरा आवास योजना(20%) के तहत इस प्रखंड में गत वर्ष की लंबित 92 इकाई को लेकर कुल 150 इकाई के विरूद्ध
त्र 43 इकाई में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो पाया है एवं शेष लंबित 107 में से 57 में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जो बहुत ही
म्भीर विषय है । इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन 9.385 लाख के विरूद्ध मात्र 2.71 लाख रूपया ही व्यय किया गया है । स्थि
ार्मनाक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि कैम्प आयोजित कर राशि वितरण कराने की दिशा में आव
ार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

(40) बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम :-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत कुल लंबित योजना 132 है । प्रखंड विकास
पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है । ऐसे लाभान्वितों पर नोटिस निर्गत कर नीलाम-पत्र
वाद की कार्रवाईप्रारम्भ की जायेगी । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि नोटिस निर्गत की गई है, परन्तु अभिलेख पर कोई कार्रवाई नह
की गयी है, जो गम्भीर विषय है । प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें ।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस मद में 9.629 लाख रूपया अवशेष पड़े हुए हैं, जिसे अविलम्ब जिला कार्यालय को वापस लौटाने
का निर्देश दियाजाता है ।

(41) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (80%):-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 % मद में कुल 32 इकाई में से 18 इकाई में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण एवं 14 इकाई में
कार्य प्रगति पर है, बताया गया । कुल प्राप्त आवंटन 5.39 लाख के विरूद्ध 3.08 लाख रूपया व्यय हो पाया है । निरीक्षण के क्रम में
पाया गया कि लंबित योजनाओं की सूची तैयार नहीं की गयी है, जिसे अविलम्ब तैयार करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास

लगातार.....29/-

पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

§42§ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना§20%§ :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20%§ के अन्तर्गत 17 इकाई के विरुद्ध 6 इकाई में कार्य पूर्ण हो गया है एवं 11 इकाई में कार्य प्रगति पर है । बताया गया कि इस में कुल प्राप्त आवंटन 1.60 लाख के विरुद्ध 0.72 लाख खर्च हो पाया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

§43§ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना§सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-धारा-11§:-

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कुल 8.751 लाख संसाधन के विरुद्ध 5.537 लाख रूपया व्यय किया गया है 608 क्विंटल गेहूँ का भी खपत किया गया है । बताया गया कि कुल 150 योजनाओं के विरुद्ध 106 योजनाएँ पूर्ण हैं, जिसमें 12 योजना अनुसूचित जाति के प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं से संबंधित है ।

§44§राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :-

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मद के अन्तर्गत 756 लाभान्वितों को माह-नवम्बर, 2002 तक पेंशन भुगतान हो चुका है । कुल 6.818 लाख के विरुद्ध 5.683 लाख रूपया व्यय हो चुका है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सभी 14 पंचायतों के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण किया गया है । मृत पेंशनधारियों के नाम के सामने लाल से कट§×§ किया गया है । मृत पेंशनधारियों का पूर्ण व्यौरा तैयार कर अनुमण्डल पदाधिकारी के पास सूची रद्द करने हेतु भेजा जाना चाहिए, जिसे नहीं भेजा जा रहा है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वैसे मृत पेंशनधारियों की सूची का पूर्ण व्यौरा तैयार कर अनुमण्डल पदाधिकारी के पास रद्द करने हेतु भेजें एवं उसकी एक प्रति जिला कार्यालय को भी भेजा जाय । स्वीकृत्यादेश की प्रति अलग-अलग पंचायतवार रखी संचिका में रखने का निर्देश दिया जाता है ।

§45§ राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-

इस प्रखंड में कुल पेंशनधारियों की संख्या 715 है जिन्हें 30-11-2002 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है । इस

लगातार....30/-

...जना के तहत सभी 14 पंचायतों के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण सही ढंग से किया गया है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होत... पेंशन प्राप्तकर्त्ता के निशान पर पहचानकर्त्ता का हस्ताक्षर कहीं-कहीं नहीं किया गया है, जिसका अनुपालन भविष्य में प्रखंड विका... धिकारी करना सुनिश्चित करें । पेंशन स्वीकृत्यादेश को एक पंजी में रखा गया है, जिसे अलग-अलग पंचायतवार रखी संचिका में रखने ... निर्देश दिया जाता है ।

...) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सभी महिलाओं को राशि का भुगतान किया जा चुका ... पंचायत सेवकों द्वारा लिये गये अग्रिम के विरूद्ध अभिश्रव समर्पित नहीं करने के कारण कुल 29,800/-रूपया का समायोजन नहीं हो पा... । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सभी 14 पंचायत के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण किया गया है । निरीक्षण के दौरान कुल ... उपलब्ध पंजियों की जाँच की गयी, एवं सही पाया गया । पंजी में लाभार्थियों के नाम के साथ उम्र का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, ... नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त स्वीकृत्यादेश की पंचायतवार अलग-... ...ग रखी संचिका में संधारित कराना सुनिश्चित करें ।

...47) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजनान्तर्गत मात्र 6 मामले स्वीकृत हुए थे, जिन्हें प्रत्येक को 10-10 हजार ... ...ये भुगतान किये गये हैं । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एक भुगतान पंजी का संधारण किया गया है, जिसमें सभी सूचनाओं को अंकित ... किया गया है, भुगतान चेक द्वारा नियमित रूप से किया गया है एवं कोई दावा लंबित नहीं है । इसके अतिरिक्त भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश ... की रखी संचिका में संधारण किया जा रहा है ।

(48) अन्नपूर्णा योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत मासिक आवंटन चावल 13.28 क्विंटल, गेहूँ 19.92 क्विंटल है । बताया गया कि माह-नवम्बर, 02 तक आवंटित खाद्यान्नों का उठाव राज्य खाद्य निगम से किया जा चुका है । माह-अगस्त, 2002 तक का वितरण हो चुका है एवं शेष माह के लिए वितरण की कार्रवाई की जा रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वितरण की कार्रवाई अविलम्ब ...

लगातार....31/-

सुनिश्चित करें ।

§49§ कल्याण:-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्ग 7 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को आवंटित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है । वर्ग 1 से 6 तक के छात्र/छात्राओं के लिए राशि ग्राम पंचायतों को विमुक्त किया जा चुका है । मात्र महथौर, मेहूँमाड़ेरिया एवं बथनाहा पंचायत से छात्रवृत्ति वितरण की सूचना प्राप्त है एवं शेष को इस कार्यालय के पत्रांक 934 दिनांक 17-12-2002 द्वारा स्मारित किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि पंचायत के मुखिया द्वारा राशि वितरण नहीं की जाती है, तो संबंधित मुखियाके विरूद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय । साथ ही इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी की जाय । इसका अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो खेद की बात है ।

§50§ निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस प्रखंड का कार्यकलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । मुख्य रूप से अस्थायी अग्रिम एवं अभिश्रव की राशि के समायोजन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । प्रधान सहायक एक अनुभवी एवं दक्ष सहायक हैं । प्रखंड नाजीर को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम की वसूली की दिशा में सभी संबंधित को नोटिस निर्गत करते हुए वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। विभिन्न चालू खाता को बन्द किया जाय एवं राशि बचत खाता में रखा जाय । सभी कार्यक्रम के लिए एक पासबुक, एक चेक बुक एवं एक सहायक रोकड़ बही का संधारण सुनिश्चित किया जाय । इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन यदि किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रखंड के कार्यकलाप में और भी सुधार आने की संभावना है ।प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार...32/-

ज्ञाप संख्या 85 ग्रा० । जिला विकास, मधुबनी, दिनांक 24 फरवरी, 2003 ई०।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
23.2.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

परिशिष्ट-"क"

शीर्ष वार - वर्षवार असमायोजित अग्रिमों का विवरण :-

प्रखंड- फुलपरास । दिनांक 21.12.02

क्रमांक	वर्ष	इन्दिरा आवास	जिला योजना	विधायक कोष	बायो गैस	जन्म - मृत्यु	2015-निर्वाचन ।	2515-ग्रा. पंचायत	2515- ग्रामीण विकास-"हा" वाहन	कार्यालय व्यय	प्रखंड भवन	मकान किराया	विद्युत प्रभार	कुल
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
	19989-90	-	-	-	-	-	-	-	-	2181.76	-	-		2181.7
	1990-91	-	-	-	-	-	-	-	19346.00	9086.71				28432.7
	1991-92		155000	-	-	-	-	-	35537.45-	13015.58	-	-	-	203553.0
	1992-93	37160	45000	35000	119000	-	-	-	71491.40-	116482.55	-	-	-	324133.9
	1993-94	-	-	-	-	-	-	-	37437.85-	68241.96	780	[illegible]		106459.8
	1994-95	-	-	-	-	-	-	-	31545.00-	184306.50-	2625-	[illegible]	-	218476.5
	1995-96	-	-	-	-	-	-	-	57581.30-	133885.70	-	-	-	191467.0
	1996-97	-	-	-	-	-	-	-	88785.68-	272971.92	-	-	-	361757.6
	1997-98	-	-	-	-	-	-	-	34442.47-	50374.16	-	-	-	84816.6
	1998-99	-	-	-	-	-	5825.10	-	19687.96-	8626.50	-	-	-	34139.
	1999-2000						5324.00		62586.00-	70815.90				138725.9
	2000-01						10061.00		129835.15	10512.00				150408.
	2001-02					131873	-	39200	148379.70-	174675.55	5643	2500	3000	505271.2
	2002-03								95875.40-	52651.60	21574	68400.	3000	241451.0
कुल		37160	200000	35000	119000-	131873	21210.10	39200	832481.36	1167828.39-	30622-	70900-	6000-	2591274.

प्रखंड विकास पदाधिकारी
फुलपरास

21.12.02